प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थानाः– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/23 दिनांक 10/9/2023

2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018)**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये:–
(3) अधिनियम .... धाराये :–........................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 190 समय 2:00 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **09.09.2023** समय **2.50 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **08.09.2023** समय **2.00 पी0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा पूर्व करीबन 80 किलोमीटर**
(ब) पताः–**आरोपी का कार्यालय कक्ष, किसान सेवा केन्द्र, ग्रा0पं0 पायला कल्ला जिला बालोतरा**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
(अ) नाम :– **श्री दुर्गाराम**
(ब) पिता का नाम :– **श्री भैराराम**
(स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 25 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य) पाटपोर्ट संख्या :–........................ जारी होने की तिथी........................
(र) व्यवसाय :– **खेतीबाड़ी**
(ल) पता :– **निवासी गांव विष्णु मंदिर का वास, एड सिणधरी जिला बालोतरा**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
श्री अशोक पुत्र श्री ममाराम उम्र 25 वर्ष पैशा नौकरी निवासी भीलो का वास, रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा हाल कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय ग्राम पंचायत पायला कल्ला जिला बालोतरा मोबाईल नम्बर 9649621526

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–........................

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 2500 रुपये**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामे

श्रीमान डिपटी साहब

ACB बाडमेर

विषय :— कानूनी कारविाही करवाने बाबत

महोदय,

निवेदन मै दुर्गाराम S/O भैराराम जाती जाट निवासी विष्णू मन्दीर का वास एड सिणधरी जीला बालोतरा का इस प्रकार है कि मैने मुख्यमत्री तारबंदी योजना में कृषि विभाग से 40000— अनुदान का आवेदन ओनलायेन किया था जिस पर मेरे पिताजी के नाम अनुदान पत्रावली सविकृत होने पर मेने तारबंदी कार्य पूर्ण करवा दी है उसका अन्तिम भुगतान से पूर्व श्री अशोक कुमार 06/09/23 को मेरे घर आया व भुगतान सविकृत करवाने की एवज में 5000/— रुपये मागे एवं शाम को किसी दुसरे के फोन पे पर 2000 रुपये करवाए एवं 3000रुपये की ओर मांग की। मेने उन्हे बाद़ में देने का कहा तो उन्होने कहा जब 3000 रुपये बाकी के देंगे तो ही स्वीकृत होगा। आज मेरे को कोल कर बुला रहा है एव 3000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है मै रिश्वत नही देकर कानुनी कार्यवाही करवाना चाहाता हू मेरी उनसे कोई अनबन या कोई लेनदेन बकाया नही है कानुनी कारवाही करावे। श्री अशोक कुमार प0स0 पायला कला कृसी विभाग का कर्मचारी है

भवदीये

08/9/23

एसडी/—

दुर्गाराम S/O भैराराम

मो0नं0 9610576499

एसडी/— संग्रामसिंह भाटी

08/09/2023

एसडी/—धर्मेन्द्र सोलंकी

(धर्मेन्द्र)

09/09/2023

एसडी/— कासमखां

09/09/2023

कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.09.2023 वक्त 2.00 पी0एम0 केम्प ब्यूरो चौकी जैसलमेर की ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त

इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप दल जैसलमेर के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी जैसलमेर से रवाना सुदा बायतु की तरफ वाहन से जा रहा था। उस समय मोबाईल नम्बर 9610576499 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर समय करीबन 1.59 पी0एम0 पर कॉल आया एवं कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का परिचय श्री दुर्गाराम पुत्र श्री भेराराम निवासी विष्णुजी मंदिर का वास, एड सिणधरी जिला बालोतरा होना बताया एवं बताया कि वह श्री अशोक कर्मचारी कृषि विभाग पायला कल्ला जिला बालोतरा के विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र लेकर एसीबी चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री दुर्गाराम को अवगत करवाया कि मैं राजकार्य से मुख्यालय से बाहर हूँ, आप चौकी में मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मुझे आपकी शिकायत के विस्तृत हालात बताये, जिस पर श्री दुर्गाराम ने बताया कि मेरे पिताजी के नाम मुख्यमंत्री तारबंदी योजना के तहत मेरे द्वारा आवेदन विगत वर्ष किया था एवं विभागीय नियमानुसार मैने तारबंदी भी करवा दी थी, जिस पर दिनांक 06.09.2023 को कृषि विभाग पायला कल्ला का कर्मचारी श्री अशोक मेरे खेत में आया एवं जीयो टैगिंग करके गया एवं मेरे से अनुदान राशि भुगतान करने की एवज में 5000रुपये मांगे एवं 2000रुपये किसी अन्य गोपाराम नामक व्यक्ति के फोन पे पर करवाये एवं शेष 3000रुपये ओर देने पर ही अनुदान स्वीकृत करने का कहा एवं आज वह मुझे बार–बार रिश्वत राशि लेकर बुला रहा है। मैं उसको रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथो पकड़वाने की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा बताये हालात से रिश्वत राशि मांग का मामला पाये जाने पर प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री दुर्गाराम से कहा कि आप जो प्रार्थना पत्र लेकर आए है वह एक लिफाफे में बंद कर ब्यूरो चौकी बाड़मेर में श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 को सुपूर्द करे एवं कार्यालय में उपस्थित रहे। मैं ब्यूरो कार्मिको को अग्रिम कार्यवाही बाबत निर्देशित कर रहा हूँ, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 को निर्देशित किया कि श्री दुर्गाराम नामक व्यक्ति कोई गोपनीय कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुआ है, आप श्री दुर्गाराम से बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर श्री लालाराम कानि0 का परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर संचालन की विधि की समझाईश कर गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के बताये स्थान पर भेजे एवं बाद सत्यापन श्री लालाराम कानि0 एवं परिवादी श्री दुर्गाराम को सत्यापन हालात मोबाईल से अवगत करवाने बाबत निर्देशित करे। तत्पश्चात श्री लालाराम कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री दुर्गाराम को डिजिटल टेप रिकार्डर की संचालन की विधि की समझाईश कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी की मोटरसाईकल से उसके कहे अनुसार पंचायत समिति पायला कल्ला को रवाना हुआ हूँ, जिस मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री लालाराम कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी श्री दुर्गाराम के साथ जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर सत्यापन हालात मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाये एवं परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत करे। ताबाद श्री लालाराम कानि0 ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को कॉल कर अवगत करवाया कि निर्देशानुसार परिवादी श्री दुर्गाराम के साथ रवाना होकर पंचायत समिति पायला कल्ला के पास पहुच परिवादी श्री दुर्गाराम द्वारा श्री अशोक कुमार की उपस्थिति ज्ञात की, जिस पर उनके पं0सं0 पायला कल्ला में ही उपस्थित होने पर मन् कानि0 द्वारा परिवादी श्री दुर्गाराम को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर ऑन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु रवाना किया एवं मन् कानि0 गोपनीयता बरतते हुए पंचायत समिति परिसर के बाहर ही खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मन् कानि0 को प्रस्तुत किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर कब्जे में लिया एवं परिवादी श्री दुर्गाराम ने अवगत करवाया कि श्री अशोक कुमार मुझे पंचायत समिति परिसर के बाहर ही मिल गये एवं मेरे से कहा कि कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल उठा नहीं रहे हो, न ही समझ रहे हो, मेरे काम का क्या हुआ एवं यह भी बोला की जीयो टेगिंग मे प्रोब्लम आ रही है, आपने मेरा काम नहीं किया, जिस पर मैने कहा कि भाई बाहर गया हुआ है, उसके आते ही आपका काम कर दूंगा, आप बताओं क्या करना है, कितना करना है, आप एक बार बताओ तो सही, जिस पर उसने 2500रुपये रिश्वत की मांग की, मैने फोन पे करने का कहा तो उन्होने मना कर दिया एवं कल लेकर

आने का कहा इत्यादि वार्ता हुई है जो मेरे द्वारा टेप रिकार्डर में रिकार्ड की है। श्री लालाराम कानि0 द्वारा जरिये मोबाईल अवगत करवाये हालात के सम्बंध में श्री दुर्गाराम से वार्ता करवाने का कहने पर श्री दुर्गाराम द्वारा भी उक्त तथ्यो की ताईद की एवं बताया कि श्री अशोक कुमार ने मुझे कल 2500रुपये रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। मेरे पास अभी उक्त पैसे नहीं है, जिसकी व्यवस्था करनी है, जिस पर श्री दुर्गाराम को आरोपी द्वारा रिश्वत में मांगी गई 2500रुपये की व्यवस्था कर प्रातः 7.00 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर में उपस्थित होने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत हुई एवं श्री लालाराम कानि0 को अविलम्ब डिजिटल टेप रिकार्डर के ब्यूरो चौकी बाड़मेर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया।

तत्पश्चात दिनांक 08.09.2023 को सायं 7.30 पी0एम0 मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो चौकी जैसलमेर के ट्रेप दल के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ। श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री दुर्गाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया, जिसे खोला जाकर उसका अवलोकन किया। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि " मैने मुख्यमंत्री तारबंदी योजना में कृषि विभाग से 40,000/– अनुदान का आवेदन ऑनलाईन किया था, जिस पर मेरे पिताजी के नाम अनुदान पत्रावली स्वीकृत होने पर मैने तारबंदी कार्य पूर्ण करवा दी है, उसका अन्तिम भुगतान से पूर्व श्री अशोक कुमार दिनांक 06.09.2023 को मेरे घर आया व भुगतान स्वीकृत करवाने की एवज में 5000रुपये मांगे एवं शाम को किसी दूसरे के फोन पे पर 2000रुपये करवाए एवं 3000रुपये की और मांग की। मैने उन्हें बाद में देने का कहा तो उन्हौने कहा जब 3000रुपये बाकी के देंगे तो ही स्वीकृत होगा। आज मेरे को कॉल कर बुला रहा है एवं 3000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं रिश्वत नहीं देकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई अनबन या कोई लेनदेन बकाया नहीं है। कानूनी कार्यवाही करावें। श्री अशोक कुमार प0स0 पायला कल्ला कृषि विभाग का कर्मचारी है " परिवादी श्री दुर्गाराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के कब्जे में लिया। कुछ समय बाद श्री लालाराम कानि0 ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द कर पूर्व में जरिये मोबाईल अवगत करवाये सत्यापन हालात से अवगत करवाया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर पूर्व में जरिये मोबाईल अवगत करवाये सत्यापन हालात की पुष्टि हुई एवं परिवादी के जायज कार्य को करने की एवज में आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा परिवादी श्री दुर्गाराम से 2500रुपये रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, आईन्दा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट् मूर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के कब्जे में लिया एवं श्री लालाराम कानि0 ने अवगत करवाया कि श्री दुर्गाराम आपसे हुई वार्तानुसार आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2500रुपये की व्यवस्था कर कल प्रातः 7.00 ए0एम0 पर उपस्थित हो जायेगा। कल दिनांक 09.09.2023 को ब्यूरो की प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही होने से ब्यूरो जाब्ता को प्रातः 7.00 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया एवं ब्यूरो चौकी जैसलमेर की ट्रेप कार्यवाही में साथ रहे दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी कल प्रातः7.00 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर की कार्यवाही में शरीक होने हेतु पाबंध किया।

तत्पश्चात दिनांक 09.09.2023 को समय 7.00 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर एवं जैसलमेर का जाब्ता कार्यालय हाजा में उपस्थित है एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेन्द्र सोलंकी एवं श्री कासमखां भी ब्यूरो चौकी पर उपस्थित है। परिवादी श्री दुर्गाराम भी उपस्थित हुआ एवं बताया कि श्री अशोक कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2500रुपये लेकर उपस्थित हुआ हूँ एवं पूर्व में दिनांक 06.09.2023 को आरोपी श्री अशोककुमार द्वारा उसके घर पर जाकर रिश्वत राशि 5000रुपये की मांग कर 2000रुपये श्री गोपाराम नामक व्यक्ति के फोन पे नम्बर 9828111675 पर ऑनलाईन करवाये गये का स्क्रीनशाट की प्रति प्रस्तुत की एवं बताया कि मैने जिस खाता से उक्त राशि जरिये फोन पे ट्रांसफर की है उक्त मेरा बैंक खाता संख्या 37049751527 एसबीआई सिणधरी जिला बालोतरा में है जिस पर परिवादी श्री दुर्गाराम पुत्र श्री भेराराम जाति जाट निवासी विष्णुजी मंदिर के पास, एस सिणधरी जिला बालोतरा का दोनो स्वतंत्र गवाहान से बारी–बारी परिचय श्री धर्मेन्द सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल जाति जीनगर उम्र 43 वर्ष पैशा नौकरी निवासी 8–सी, पटेल नगर, पुलिस थाना ब्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद् जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9875094744 एवं श्री कासमखां चानिया पुत्र श्री वली मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 41 वर्ष निवासी भागू का गांव, पुलिस थाना सदर जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद् जैसलमेर मोबाईल नम्बर 8003521047 के रुप में करवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं की अलमारी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो पूर्व में बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया था एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर उक्त प्रार्थना पत्र मय संलग्न को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के रुबरु पढ़कर सुनाया गया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिश्वत

राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को सुनाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति दी। ताबाद ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री दुर्गाराम की एवं श्री अशोककुमार कर्मचारी कृषि विभाग पंचायत समिति पायला कल्ला जिला बालोतरा के मध्य दिनांक 08.09.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को 32जीबी के एक मेमोरी कार्ड में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री अशोककुमार एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री दुर्गाराम द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं दोनो सी0डी0 को श्री ठाकराराम कानि0 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात मौतबिरान के रूबरू मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बाड़मेर को परिवादी श्री दुर्गाराम के पिताजी के नाम से मुख्यंमत्री तारबंदी योजना के तहत अनुदान राशि का भुगतान करवाने की एवज में आरोपी श्री अशोककुमार को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 2500/– रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500–500 रूपये के 05 नोट कुल 2500 रू. निकाल कर पेश किये। नोटों के नम्बर फर्द पर अंकित किये जाकर ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर के मालखाना प्रभारी श्री ठाकराराम कानि0 145 द्वारा मालखाना से साथ लाई गई फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया गया। तत्पश्चात एक अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटो को उस पर रखकर नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर ब्यूरो चौकी जैसलमेर के श्री शिवप्रताप कानि0 541 से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री कासम खॉ चानिया से लिवाई जाकर उनके बदन पर पहने हुए कपडों एवं उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी को अपना मोबाईल अपने पास ही रखने की ईजाजत दी गई। इसके पश्चात श्री शिवप्रताप कानि द्वारा सीधे ही फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 2500/– रू. के उक्त नोट परिवादी के पहने हुई पेन्ट के नीचे की बांयी जेब में रखवाई गई व परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इस नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही यह रिश्वती राशि जेब से निकाल कर आरोपी को देवें, रिश्वती राशि देने के पश्चात उक्त रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा रखने के स्थान का ध्यान रखें, तथा रिश्वत की राशि देने के पश्चात अवसर पाकर अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल अथवा ब्यूरो स्टाफ के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फैर कर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने का इशारा करें। परिवादी को हिदायत की गई कि वह रिश्वती राशि देने के पूर्व व पश्चात् आरोपी से अपना हाथ भी नहीं मिलावें। तत्पश्चात् दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट का दृष्टान्त देने के लिये कार्यालय से ही पानी की बोतल मंगवाई जाकर साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन/अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री शिवप्रताप कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबा कर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस बाबत परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को छुएगा, तो उसके हाथों को पानी व सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी तरह गुलाबी हो जायेगा। इस दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को नष्ट करवाया गया, अखबार जिन पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टान्त के समय उपयोग में लिये गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास तथा अखबार को भी श्री शिवप्रताप कानि से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री शिवप्रताप कानि. के हाथ, चम्मच इत्यादी को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, ट्रेप उपयोग की सामग्री कीप, पव्वे, चम्मच आदि को पुनः साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोडकर ट्रेप दल के समस्त सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर ब्यूरो स्टाफ के पास परिचय पत्र, मोबाईल फोन के अलावा कोई भी राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास निजी खर्चे हेतु 2000 रू.रखे। ट्रेप दल के सदस्यों को आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने के पश्चात सूचना देने हेतु परिवादी द्वारा किया जाने वाला पुर्व मुर्करर इशारा बताया जाकर हिदायत दी गई कि वे सभी परिवादी के इशारे का ध्यान रखे, यथा सम्भव रिश्वती राशि के लेनदेन को भी देखने अथवा वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। ट्रेप दल के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती

राशि लेनदेन के समय परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी को डिजीटल रिकॉर्डर देकर हिदायत दी कि वह रिश्वती लेनदेन के वक्त की वार्ता को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री शिवप्रताप कानि0 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री दुर्गाराम ने अपने सूत्रो से जानकारी कर बताया कि श्री अशोककुमार अपने हल्का क्षेत्र में कही गया हुआ है जो पंचायत समिति पायला कल्ला में अपने कार्यालय में आने के बाद ही मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करेगा, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के ब्यूरो चौकी बाड़मेर में ही आरोपी श्री अशोककुमार के पायला कल्ला स्थित कार्यालय में उपस्थित होने बाबत मुकीम रहे। ताबाद परिवादी श्री दुर्गाराम ने अपने सूत्रो से ज्ञात कर बताया कि श्री अशोककुमार पायला कल्ला स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित आ गया है, जो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। परिवादी के बताये अनुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अग्रिम रिश्वती राशि लेन–देन कार्यवाही करवाने का निर्णय लिया जाकर मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री दुर्गाराम, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री धर्मेन्द्र सोलंकी एवं श्री कासमखां कनिष्ठ सहायकगण, ब्यूरो जाब्ता श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0, श्री सुराबखां हैड़ कानि0, श्री ठाकराराम कानि0, श्री लालाराम कानि0 एवं ब्यूरो चौकी जैसलमेर का जाब्ता श्री किसनाराम कानि0, श्री भंवरलाल कानि0, श्री संग्रामसिंह मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये ब्यूरो चौकी बाड़मेर के सरकारी वाहन बोलेरो, ब्यूरो चौकी जैसलमेर के सरकारी वाहन बोलेरो के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार पंचायत समिति पायला कल्ला को रवाना होकर पंचायत समिति पायला कल्ला से कुछ दूरी पहले परिवादी श्री दुर्गाराम मोबाईल नम्बर 9610576499 से श्री अशोककुमार के मोबाईल नम्बर 9649621526 पर कॉल करवाकर उसकी उपस्थिति ज्ञात की तो श्री अशोककुमार ने पंचायत समिति पायल कल्ला में अपने कार्यालय में उपस्थित होना बताया, चूंकि उक्त कॉल श्री अशोककुमार की उपस्थिति ज्ञात करने बाबत करवाया गया था, जिस पर उक्त मोबाईल वार्तालाप को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड नहीं करवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के रिश्वती राशि लेन–देन कार्यवाही हेतु पंचायत समिति पायला कल्ला के लिए रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप दल के किसान सेवा केन्द्र पायला कल्ला के पास पहुचे। परिवादी श्री दुर्गाराम को ब्यूरो चौकी का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु किसान सेवा केन्द्र पायल कल्ला में आरोपी के कार्यालय कक्ष की तरफ भेजा एवं परिवादी को पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे की हिदायत की। परिवादी श्री दुर्गाराम के पीछे–पीछे श्री लालाराम कानि0, श्री सुराखखां हैड़ कानि0 को भेजा एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं हमरायान के परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में किसान सेवा केन्द्र पायला कल्ला के बाहर मेघा हाईवे स्थित मुख्य सड़क पर दोनो वाहनो में बैठे मुकीम हुए।

तत्पश्चात दिनांक 09.09.2023 को मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 2.50 पी0एम पर परिवादी श्री दुर्गाराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किसान सेवा केन्द्र पायला कल्ला के मुख्य गेट के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फैर कर किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो दल के मेघा हाईवे स्थित किसान सेवा केन्द्र के बारह मुख्य सड़क के पास ही उपस्थित थे, जहॉ मुख्य सड़क पर किसान सेवा केन्द्र के गेट पर परिवादी श्री दुर्गाराम उपस्थित मिला, जिसके पास पहुच परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया एवं परिवादी श्री दुर्गाराम, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल को साथ लेकर किसान सेवा केन्द्र में ग्राम पंचायत पायला कल्ला के कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय के आगे पहुचा, जिसमें सामने की तरफ एक कक्ष में एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुआ मिला। परिवादी श्री दुर्गाराम ने उसकी तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री अशोक कुमार है, जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि मांग कर 2500रुपये अपने हाथ में लेकर गिनकर अपने पहनी हुई जींस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए चारपाई पर सामने की तरफ बैठे व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री अशोककुमार पुत्र श्री मम्माराम उम्र 25 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पंचायत रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा हाल कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत पायला कल्ला जिला बालोतरा मोबाईल नम्बर 9649621526 होना बताया एवं ग्राम पंचायत पायला कल्ला के अन्तर्गत कुल 08 ग्राम पंचायतो पर कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थापित होना बताया एवं उक्त कार्यालय में ही एक कक्ष में स्वयं का निवासरत होना भी बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खड़े परिवादी श्री दुर्गाराम की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर आरोपी ने बताया कि मैं इनको जानता हूँ, इनके पिताजी के नाम से मुख्यमंत्री

तारबंदी योजना की फाईल मेरे पास थी, जिसकी जीयो टैगिंग मेरे द्वारा की जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर दिनांक 06.09.2023 को ऑनलाईन स्वीकृति हेतु कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, बाड़मेर प्रेषित कर दी थी। मैने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है, जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री दुर्गाराम ने बताया कि श्री अशोककुमार झूठ बोल रहे है, मेरे पिताजी के नाम मुख्यमंत्री तारबंदी योजना के तहत अनुदान राशि 40,000रुपये का अन्तिम भुगतान करवाने की एवज में श्री अशोककुमार मेरे खेत की जीयो टैगिंग करके गये एवं दिनांक 06.09.2023 को मेरे घर पर आया एवं मेरे से 5000रुपये रिश्वत की मांग की एवं 2000रुपये श्री गोपाराम नामक व्यक्ति के फोन पे पर करवा लिये एवं 3000रुपये रिश्वत की और मांग की एवं बोला की बाकी के 3000रुपये दोगे तो ही आपकी फाइल ऑनलाईन अन्तिम भुगतान के लिए बाड़मेर ऑफिस भेजूंगा, जिस पर मेरे द्वारा आपके कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत करने पर आप के निर्देशानुसार दिनांक 08.09.2023 को रिश्वती राशि मांग की रिकार्डिंग करवाने पर श्री अशोक कुमार ने मेरे से 2500रुपये रिश्वत राशि की मांग की एवं आज मेरे से रिश्वत राशि 2500रुपये मांग कर गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी है एवं मेरे द्वारा आपको लेन-देन होने का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। परिवादी के बताये कथन पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान पुनः आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि गलती हो गई मैने दुर्गाराम से 2500रुपये लेकर अपनी पेन्ट की जेब में रखी है। मेरी नियुक्ति वर्ष 2021 की ही है एवं मैं अभी प्रोबेशन में चल रहा हूँ एवं गरीब घर से हूँ, मेरी सहायता करे। तत्पश्चात आरोपी किसान सेवा केन्द्र स्थित आरोपी के कार्यालय कक्ष में ही आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पारदर्शी प्लास्टिक की दो साफ गिलासों में आरोपी के कार्यालय कक्ष से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा-आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा- आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ से लेकर गिनकनर अपने पहनी हुई काले रंग की जींस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी, जिस पर ट्रेप दल में स्वतंत्र गवाह श्री कासमखां से आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उसके पहनी हुई जींस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में नोटो का एक बण्ड़ल मिला, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री धर्मेन्द्र सोलंकी कनिष्ठ सहायक से गिनवाये गये थे, पॉच-पॉच सौ के पॉच नोट कुल 2500रुपये होना पाये गये, जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी से करवाने पर हुबहु नोटो के नम्बर निम्नानुसार पाए गये :-

क.सं.	नोट का विवरण	नोट का नंबर
1.	500/- रूपये का नोट नंबर	8SN 088491
2.	500/- रूपये का नोट नंबर	1FK 147354
3.	500/- रूपये का नोट नंबर	4TK 420606
4.	500/- रूपये का नोट नंबर	3DE 485810
5.	500/- रूपये का नोट नंबर	9WB 642327

उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक की जामा तलाशी में उसके पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके पास एक नीले रंग का रियलमी कम्पनी का मोबाईल होना पाया गया। आरोपी द्वारा उक्त मोबाईल फोन में मोबाईल सिम नम्बर 9649621526 होना बताया, जिसके सम्बंध में आरोपी से पूछने पर उक्त मोबाईल स्वयं का होना बताया। उक्त मोबाईल स्वीच ऑफ कर आरोपी को पुनः लोटाया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॅार्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप को सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य लेन-देन वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी के पहनी

हुई जींस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से बरामद होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पारदर्शी प्लास्टिक की एक अन्य साफ गिलास में उक्त कार्यालय कक्ष से ही पानी मंगवाया जाकर उक्त पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक के पहने हेतु उसके कमरे रखी अन्य लोअर की व्यवस्था कर पहनी हुई पेन्ट को खुलवाकर दूसरा लोअर पहनाया जाकर उक्त खुलवाई गई जींस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब को उल्ट कर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर निचोड़ कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् की तरह कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया एवं उक्त जींस पेन्ट को सुखाकर पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डालकर उसको सील चीट कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक को परिवादी श्री दुर्गाराम के पिताजी के नाम मुख्यंमत्री तारबंदी योजना के तहत अनुदान पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक ने बताया कि मैने उक्त पत्रावली मे दिनांक 06.09.2023 को उसके मौके पर श्री सोमपाल सहायक कृषि अधिकारी, सिणधरी के साथ जाकर पोस्ट वेरीफिकेशन करके ऑनलाईन पत्रावली अनुदान भुगतान हेतु बाड़मेर कार्यालय प्रेषित कर दी थी। आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक को परिवादी से पूर्व में 2000रुपये रिश्वत राशि श्री गोपाराम नामक व्यक्ति के फोन पे पर करवाने एवं उक्त गोपाराम के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि श्री गोपाराम खुड़ासा में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है एवं वह मेरे से पूर्व में 2000रुपये उधार मांगते थे, इसलिए मैने उस दिन श्री दुर्गाराम को 2000रुपये श्री गोपाराम के फोन पे नम्बर देकर उनके फोन पे पर करवाये थे जो श्री गोपाराम मेरे से उधार के पूर्व में मांगते थे। श्री गोपाराम कृषि पर्यवेक्षक एवं श्री सोमपाल सहायक कृषि अधिकारी का इस रिश्वत राशि में कोई हिस्सा नहीं है। परिवादी श्री दुर्गाराम की पैण्डिंग पत्रावली के सम्बंध में कार्यालय उप निदेशक, कृषि विस्तार बाड़मेर से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। धोवन की कार्यवाही मे उपयोग की गई समस्त पारदर्शी प्लास्टिक की गिलासो को जला कर नष्ट करवाया गया, उक्त कार्यवाही की फर्द मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यावाही परिवादी श्री दुर्गाराम की निशादेही पर नक्शा मौका घटनास्थल/रिश्वती राशि बरामदगी स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय पायला कल्ला में स्थित किसान सेवा केन्द्र एवं भू–अभिलेख सूचना केन्द्र पायला पं0सं0 पायला जिला बालोतरा मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं फर्द खाना तलाशी आरोपी श्री अशोक कुमार कृषि पर्यवेक्षक के कार्यालय व निवास स्थान किसान सेवा केन्द्र पं0सं0 पायला कल्ला जिला बालोतरा मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद दिनांक 09.09.2023 को समय 5.20 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अशोककुमार पुत्र श्री मम्माराम उम्र 25 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पंचायत रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा हाल कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत पायला कल्ला जिला बालोतरा मोबाईल नम्बर 9649621526 के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री भोपाराम कृषि पर्यवेक्षक मोबाईल नम्बर 7878963733 के मोबाईल से आरोपी श्री अशोककुमार के पिताजी श्री मम्माराम को दी गई।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में मौके की समस्त कार्यवाही सम्पूर्ण होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह, श्री किसनाराम कानि0 एवं श्री संग्रामसिंह कानि0 मय ब्यूरो चौकी बाड़मेर के वाहन के आरोपी के ग्राम रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा स्थित रहवासीय मकान की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु रवाना हुआ एवं शेष ब्यूरो दल सदस्य श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0, श्री सुराबखां हैड़ कानि0, श्री ठाकराराम कानि0, श्री लालाराम कानि0 श्री भंवरलाल कानि0, परिवादी श्री दुर्गाराम, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अशोककुमार को मय आरोपी के दोनो हाथो एवं जींस पेन्ट के धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 2500रुपये, पेन्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, इत्यादि के ब्यूरो चौकी जैसलमेर के सरकारी वाहन के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुच मालखाना आईट्म सुरक्षित जमा मालखाना करने बाबत श्री ठाकराराम कानि0 को निर्देशित किया गया एवं आरोपी श्री अशोककुमार के स्वास्थ्य परीक्षण एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण

पुलिस थाना कोतवाली में रात्रिकालीन सुरक्षित जमा करवाने की तेहरीर मूर्तिब कर सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत के रवाना किया। आरोपी के कार्यालय कक्ष को बंद करवाया जाकर उसकी चाबी आरोपी श्री अशोककुमार के कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री भोपाराम कृषि पर्यवेक्षक को सुपूर्द की गई। ताबाद ब्यूरो दल सदस्य श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0, श्री सुराबखां हैड़ कानि0, श्री ठाकराराम कानि0, श्री लालाराम कानि0 परिवादी श्री दुर्गाराम, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अशोककुमार ने ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित होकर श्री ठाकराराम कानि0 ने जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि ब्यूरो चौकी पहुच मालखाना आईट्म को सुरक्षित जमा मालखाना किया गया। परिवादी को ब्यूरो चौकी बाड़मेर में ही रात्रिकालीन विश्राम हेतु रखा गया एवं गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अशोककुमार को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री किसनाराम कानि0 एवं श्री संग्रामसिंह कानि0 मय सरकारी वाहन के आरोपी श्री अशोककुमार के रहवासीय मकान ग्राम पंचायत रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा पहुच फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाकर उपरोक्त के ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिए रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा रात्रि अधिक होने से पचपदरा में रात्रि मुकीम होकर प्रातः उक्त स्थान से रवाना होकर ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुचा। श्री ठाकराराम कानि0 ने अवगत करवाया कि निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुच मालखाना आईट्म सुरक्षित जमा मालखाना कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई थी जो मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की जिसे बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट की गई। गिरफ्तार सुदा आरोपी को लाने हेतु श्री सुराबखां हैड़ कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री भंवरलाल कानि0 मय सरकारी वाहन के रवाना किया, जो पुलिस थाना कोतवाली से आरोपी को सुरक्षित प्राप्त कर चौकी हाजा पर उपस्थित आए। ताबाद ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री दुर्गाराम की एवं श्री अशोककुमार कर्मचारी कृषि विभाग पंचायत समिति पायला कल्ला जिला बालोतरा के मध्य दिनांक 09.09.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को 32जीबी के एक मेमोरी कार्ड में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री अशोककुमार एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री दुर्गाराम द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं दोनो सी0डी0 को श्री ठाकराराम कानि0 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। परिवादी श्री दुर्गाराम, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेन्द्र सोलंकी एवं श्री कासमखां की अब ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से उन्हें रुखस्त दी गई। परिवादी को उसकी मोटरसाईकल सहित रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री अशोककुमार कृषि पर्यवेक्षक को माननीय न्यायालय में पेश किया जाना है, जिस बाबत रिमाण्ड़ फार्म तैयार किया गया।

अतः आरोपी श्री अशोक पुत्र श्री ममाराम उम्र 25 वर्ष पैशा नौकरी निवासी भीलो का वास, रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा हाल कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय ग्राम पंचायत पायला कल्ला जिला बालोतरा मोबाईल नम्बर 9649621526 के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(संग्रामसिंह भाटी)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री संग्रामसिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक पुत्र श्री ममाराम, हाल कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय ग्राम पंचायत पायला कल्ला, जिला बालोतरा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

10.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2736-39 दिनांक 10.09.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. आयुक्त कृषि, पंत कृषि भवन, जयपुर राजस्थान।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

10.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।